

अल्पकालिक निविदा / कोटेशन सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया में निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद / लो0नि0वि0 / आर0ई0एस0 / जिला पंचायत तथा पंजीकृत फर्मों से जो वर्ष 2015-16 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत हों, ठेकेदारों / पंजीकृत फर्मों से दिनांक 05-02-2016 को दिन में अपराह्न 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा / कोटेशन जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया के एल0बी0सी0 / टी0ए0सी0 पटल पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय / अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) द्वारा उपस्थित निविदादाताओं / कोटेशनदाताओं के समक्ष जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया में अपराह्न 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया के टी0ए0सी0 / एल0बी0सी0 पटल / नगर पंचायत रामपुर कारखाना कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 03-02-2016 को समय 11.00 बजे से 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। इस विज्ञापन को बेवसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
1	रमाकान्त के मकान से प्रेम के मकान तक एवं परमहंस के मकान से हरिकेश के खेत तक पिच रोड़ निर्माण कार्य	973300-00	97400-00	1000-00	तीन माह
2	रहीम के आरा मशीन के सामने से हरिजन बस्ती के मोड़ तक पिच रोड़ निर्माण कार्य।	1134300-00	113500-00	1200-00	तीन माह
3	पाण्डेय चक मार्ग से शकील अहमद के घर के सामने तक पिच रोड़ निर्माण कार्य।	1625300-00	162600-00	1700-00	तीन माह
4	बहरामपुर मोड़ से बड़ी बाजार मोड़ तक सी0सी0रोड़ व पटरी के दोनों तरफ इण्टरलाकिंग रोड़ निर्माण कार्य।	3955400-00	395600-00	4000-00	तीन माह
5	बहरामपुर मोड़ से सुभाष चौक होते हुये स्टेट बैंक के आगे तक निर्मित नाला पर स्लैब निर्माण कार्य	2496600-00	249660-00	2500-00	तीन माह
6	हरख चन्द्र मास्टर के घर से अशोक पान वाले के घर तक नाली व सी0सी0रोड़ निर्माण कार्य।	67000-00	6700-00	100-00	एक माह
7	प्रेम के मकान से नन्दलाल के मकान तक नाली रिपेयर कार्य। वार्ड सं0-01	122000-00	12000-00	200-00	एक माह
8	डीह स्थान से वशिष्ठ यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड़ निर्माण कार्य।	96400-00	9600-00	100-00	एक माह
9	सफाक के घर से गुड्डू के मकान तक एवं धनश्याम मिश्रा के मकान से गुलाब के मकान तक नाली निर्माण कार्य। वार्ड सं0-07	84600-00	8500-00	100-00	एक माह
10	दिनानाथ के घर से चण्डी मिश्रा के मकान तक व गढही तक नाली निर्माण एवं इण्टरलाकिंग रोड़ निर्माण कार्य। वार्ड सं0-07	177700-00	18000-00	200-00	एक माह
11	मदई के घर से हौसिला के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड़ निर्माण कार्य।	122100-00	12000-00	200-00	एक माह
12	भोला जायसवाल के मकान से मन्नू हलवाई के मकान तक एवं मजहर मास्टर के घर से निजवान के घर तक नाली निर्माण एवं स्लैब निर्माण कार्य।	71500-00	7200-00	100-00	एक माह
5	विद्युत सामग्री - सी0एफ0एल0 बल्ब 65 वाट, (फिलिप्स / हेवेल्स), सी0एफ0एल0 प्लग होल्डर, एल्मुनियम केवल सिगल कोर / डबल कोर 10 एम0एम0, चेन्ज ओवर 65 एम्पीयर (हेवेल्स) विमल , मेन स्विच ।		40000-00	500-00	एक माह

नियम एवं शर्त :-

- 1- निविदादाता / कोटेशनदाता को जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि निविदा / कोटेशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसान विकास पत्र, एन0एस0सी0, एफ0 डी0 आर0 अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा। सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार जमानत धनराशि जमा करना होगा।

- 2- एक या समस्त निविदाओं/कोटेशनदाता को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सक्षम अधिकारी/अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- 3- निविदादाता/कोटेशनदाता अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त चरित्र, हैसियत प्रमाण प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- निविदा/कोटेशन स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने व्यय से कोषागार से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/एकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
- 5- ठेकेदार को निर्माण कार्य/आपूर्ति नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, अन्यथा 100-00 रूपये प्रति हजार प्रति दिन की दर से ठेकेदार को विलम्ब शुल्क देना होगा, अर्थात् ठेकेदार के बिल से उक्त विलम्ब शुल्क/जुर्माना की धनराशि काट ली जायेगी।
- 6- 100-00 (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साईज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- 7- निविदा/कोटेशन के समय विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना का ही निर्णय मान्य होगा।
- 8- किसी भी फर्म/निविदादाता/कोटेशनदाता द्वारा या उसके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान डालने जैसे अमदत्ता, दुर्व्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में करते हुये प्रथम सूचना सम्बन्धित थाना में अंकित कराया जायेगा।
- 9- ठेकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10- किसी भी प्रकार का (कार्य स्थल) विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/नगर पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
- 11- ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हुये कार्य करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त करते हुये जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 12- जमानत की धनराशि छः माह के पश्चात यदि कार्य सन्तोष जनक पाया गया तो वापस कर दी जायेगी।
- 13- निविदादाता/कोटेशनदाता को अपने निविदा में स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी। मदवार अलग अलग निविदा में दरें मान्य होगी।
- 14- कार्य में घट बढ़ होने पर अलग से कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।
- 15- शेष जानकारी किसी भी दिन कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- 16- आयकर व्यापार कर की कटौती निकाय द्वारा की जायेगी। और किसी प्रकार का वैट का भुगतान निकाय स्तर से नहीं किया जायेगा।

अधिशाली अधिकारी

नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

अध्यक्ष

नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

पत्रांक/408(2) /दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- 1- जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
 - 2- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया।
 - 3- जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी, (एन0आई0सी0)देवरिया।
 - 4- मा0 समस्त अधिशाली अधिशाली गण नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद देवरिया।
 - 5- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
 - 6- सम्पादक अमर "उजाला/स्वतंत्र भारत" को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अधिकारी

नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

राष्ट्रिका

अध्यक्ष
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
नगर पंचायत देवरिया कारखाना
जनपद - देवरिया

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि 13 वें/14 वें वित्त आयोग/अवस्थापना विकास निधि द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया में निर्माण कार्य व विभिन्न सामग्री की आपूर्ति हेतु नगर पालिका परिषद/लो०नि०वि०/आर० ई० एस०/जिला पंचायत के पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से जो वर्ष 2015-16 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत हों, ठेकेदार/पंजीकृत फर्मो से दिनांक 05-02-2016 को दिन में 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा/कोटेशन जिलाधिकारी देवरिया के एल०बी०सी०/टी०ए०सी० पटल पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं/कोटेशनदाताओं के समक्ष अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय के टी०ए०सी०/एल०बी०सी० पटल/कार्यालय नगर पंचायत रामपुर कारखाना से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 03-02-2016 को समय 11.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। इस विज्ञापन को बेवसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

1- 13 वॉ वित्त आयोग

क्र. सं.	कार्य/आपूर्ति का विवरण	प्रस्तावित आपूर्ति/कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	जमानत धराशि	निविदा/कोटेशन पत्र शुल्क	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	जलापूर्ति	इण्डिया मार्का (द्वितीय) हैड पम्प का स्थापन एवं रिबोर/रिपेयर कार्य।	-	25000-00	300-00	20 दिन
2	मलजल व्यवस्था	1-स्काई लिफ्ट(टाटा मैक गाड़ी पर)	-	125000-00	1300-00	20 दिन
3	वर्षा जल की निकासी	1-असगर के मकान से ईश्वर ठठेरा के मकान तक नाली निर्माण कार्य वार्ड सं०-08	95000-00	9500-00	100-00	एक माह
		2-नसरत अली के गेट से मुसकीम के घर तक नाला रिपेयर कार्य वार्ड सं०-01	87300-00	8700-00	100-00	एक माह
		3-मदन विश्वकर्मा के घर से राजू मद्धेशिया के मकान तक नाला निर्माण/क्रासिंग निर्माण कार्य। वार्ड सं०-06	478100-00	47000-00	500-00	एक माह
4	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1-चूना पाउडर, 2-मैलाधियान पाउडर, 3-पैराथ्रम द्रव्य 4-कुदाल वेट सहित 5-बेलचा	-	26000-00	300-00	20 दिन
5	ई-गर्वनेन्स	1-लेजर प्रिन्टर (स्कैनिंग/फाटोकापी सहित) काटेज, यू०पी०एस०,	-	6000-00	100-00	20 दिन
6	पथ प्रकाश	1- सोलर स्ट्रीट लाईट 24 वाट	-	60000-00	600-00	20 दिन
		2- सोलर सिस्टम(रूफ टाप/दो किलो वाट	-	40000-00	400-00	20 दिन

2-अवस्थापना विकास निधि

1	उमा शंकर के घर से मकबूल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य वार्ड सं०-09	145200-00	14000-00	200-00	एक माह
2	विश्वकर्मा के मकान से शिवशंकर जायसवाल तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य वार्ड सं०-02	427000-00	42000-00	500-00	एक माह

नियम एवं शर्त :-

- 1- निविदा दाता को जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसान विकास पत्र, एन0एस0सी0, / एफ0डी0आर0 / टी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा।
- 2- एक या समस्त निविदाओं/कोटेशनों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- 3- निविदादाता/कोटेशन दाता को अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त अद्यतन अपना चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- निविदा/कोटेशन स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने व्यय से कोषागार से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/एकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
- 5- ठेकेदार को निर्माण कार्य/आपूर्ति नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, अन्यथा 100-00 रुपये प्रति हजार प्रति दिन की दर से ठेकेदार को विलम्ब शुल्क देना होगा, अर्थात ठेकेदार के बिल से उक्त विलम्ब शुल्क/जुर्माना की धनराशि काट ली जायेगी।
- 6- 100-00 (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साईज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- 7- निविदा/कोटेशन के समय विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना का ही निर्णय मान्य होगा।
- 8- किसी भी फर्म/निविदादाता/कोटेशनदाता द्वारा या उसके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान डालने जैसे अभद्रता, दुर्व्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में अंकित कराया जायेगा।
- 9- किसी भी प्रकार का (कार्य स्थल) विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/नगर पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
- 10- ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये कार्य/आपूर्ति करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त करते हुये जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 11- जमानत की धनराशि छः माह के पश्चात यदि कार्य सन्तोष जनक पाया गया तो वापस की जायेगी।
- 12- निविदादाता को अपने निविदा/कोटेशन में स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देना होगा। मदवार अलग अलग निविदा/कोटेशन में दरें मान्य होगी।
- 13- कार्य में/आपूर्ति में घट बढ़ होने पर अलग से कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।
- 14- शेष जानकारी किसी भी दिन कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- 15- संबंधित फर्मों/दुकानों/एजेन्सीओं द्वारा अपने फर्म/दुकान/एजेन्सी के लेटर पैड पर क्रय आपूर्ति का कोटेशन मुहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 16- निविदा/कोटेशन सूचना देवरिया की वेबसाईट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

अध्यक्ष,

नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

पत्रांक 1407D /दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
- 2- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया को इस आशय से प्रेषित की उक्त अल्पकालिक निविदा/कोटेशन को अपने स्तर से वेबसाईट www.deoria.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 3- मा0 समस्त अधिशासी अधिशासी गण नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद देवरिया।
- 4- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- सम्पादक "हिन्दुस्तान" व "दैनिक जागरण" गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

राधिका
अध्यक्ष, देवी

नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।
जनपद - देवरिया